

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श

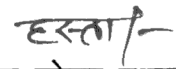
कमांक 530/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 09 सितम्बर, 2025

श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा के मातृत्व अवकाश पर होने एवं श्री विनय कुमार वर्मा, स0ग्रे0-3 (साक्ष्य लेखक, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज) जिला रीवा के अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर होने से प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख रिमार्क कॉलम में अंकित समयावधि के लिए सम्बद्ध किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1.	श्री शिवमूर्ति शुक्ला, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा (श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल) के न्यायालय से	असंजित, कार्यालय अनुभाग रीवा	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल के प्रसूति अवकाश से लौटने तक की अवधि के लिए
2.	श्री रामभगवान कोल, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज जिला रीवा (श्री साजिद मोहम्मद) के न्यायालय से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज जिला रीवा (श्री युवराज दीक्षित) के न्यायालय में	श्री विनय कुमार वर्मा, साक्ष्य लेखक के कर्तव्य पर उपस्थित होने तक की अवधि के लिए

नोट :- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

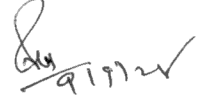
पृ0क0- 4469/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 09 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

- न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा।
- न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज जिला रीवा।
- न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज जिला रीवा
- पी0ए0 टू माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित कर्मचारी-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0